पत्र संख्या निग0/2–1/3–09–2021/ 333
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक,

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 25/08/2021

विषयः– **परिवाद संख्या–05/लोक0 (आरक्षी), 03/17 में दर्ज श्री नागेश्वर महतो, पिता–स्व0 केवल महतो, ग्राम–सहयार बंजुर्ग, पो0–रोसड़ा, जिला– समस्तीपुर में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये सुझाव पर पुलिस मुख्यालय द्वारा पारित मंतव्य के अनुपालन हेतु सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परिवाद संख्या–05/लोक0 (आरक्षी), 03/17 में दर्ज श्री नागेश्वर महतो, पिता–स्व0 केवल महतो, ग्राम–सहयार बंजुर्ग, पो0–रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये सुझाव पर पुलिस मुख्यालय द्वारा पारित मंतव्य को माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू) में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में उक्त मंतव्य को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति मूल में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू) में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

25/8/21
पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– निग0/2–1/3–09–2021/ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– ✓आई0टी0, प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को पुलिस विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय। साथ ही, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के ई–मेल पर भी इस पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति को भेजने की कार्रवाई की जाय।

25/8/21
पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

प्रेस विज्ञप्ति

परिवाद संख्या–05/लोक0 (आरक्षी), 03/17 में दर्ज श्री नागेश्वर महतो, पिता–स्व0 केवल महतो, ग्राम–सहयार बंजुर्ग, पो0–रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये सुझाव पर पुलिस मुख्यालय द्वारा पारित मंतव्य जो निम्न प्रकार है:–

1. पुलिस हस्तक नियम संख्या–81(ग) एवं 132(ख) के अनुरूप थाना के सभी बहियों एवं प्राप्त पंजी का संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्रान्तगर्त सभी थानों को इस संबंध में निर्देश दें एवं निरीक्षण के क्रम में अनुपालन सुनिश्चित कराये।
2. थाना में प्राप्ति पंजी के अतिरिक्त एक अलग से पंजी रखी जाय जिसमें मात्र न्यायालय से प्राप्त अभियोग की प्रविष्टि, दर्ज प्राथमिकी संख्या, धारा एवं दिनांक तथा अनुसंधानकर्त्ता का नाम अंकित हो। जिस अभियोग पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है उसकी भी प्रविष्टि प्राप्ति तिथि के साथ दर्ज की जाय। इसका अवलोकन निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किया जाय और थाना स्तर से मासिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय को समर्पित किया जाय। पुलिस अधीक्षक अपने मासिक अपराध गोष्ठी में इसकी समीक्षा करें।
3. प्रत्येक माह के अपराध गोष्ठी में अभियोजन कोषांग द्वारा उपस्थापित अभिलेख की पुलिस अधीक्षक गंभीरता से समीक्षा करे।
4. न्यायालय से त्रैमासिक मिलान करके प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश संबंधित अंचल पुलिस निरीक्षक को दिया जाय।
5. थाना के निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त अभियोग पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने का दायित्व संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को दिया जाय।

यह प्रेस विज्ञप्ति आमजनों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है।

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।